रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12022022-233364
SG-DL-E-12022022-233364

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84]	दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 11, 2022/माघ 22, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 437
No. 84]	DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 11, 2022/MAGHA 22, 1943	[N. C. T. D. No. 437

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

अधिप्रमाणित
(नित्यानंद राय)
गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली

गृह -1 (पुलिस) / स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 फरवरी, 2022

सं. 16/6/2020/गृ0पु0–I/स्था0/3483–3489.—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उप–धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप–राज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली पुलिस नियमावली (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

(1) संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः–

(1) इन नियमो को दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2022 कहा जायेगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

(2) संशोधनः–

उक्त नियमों में नियम 17–ख (गपअ) दिल्ली पुलिस में संचार इकाई के टेलीफोन एक्सचेंज ऑपरेटर (प्रधान सिपाही) के पद से संबंधित है।

(1) वेतनमान से संबंधी कॉलम मे प्रविष्टि हेतु, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर...........स्तर–4 (25,500–81100 रूपये)

(2) सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अहर्ताओं संबंधी कॉलम में प्रविष्टि हेतु, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान एवं गणित विषय के साथ 102 (वरिष्ठ माध्यमिक) उर्तीण।

या

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रोनिक्स प्रणाली रखरखाव की ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण–पत्र (एनटीसी)

या

इलैक्ट्रोनिक्स संचार प्रणाली में मैकेनिक–सह–ऑपरेटर की ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण–पत्र।

या

कॉल सेंटर सहायक की ट्रेड में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण–पत्र।

(ख) कम्प्यूटर प्रचालन में दक्षता

- अर्हक प्रकृति
- अंग्रेजी शब्द प्रक्रमण गति का परीक्षणः– 15 मिनट में 1000 कुंजी दबाना
- मूलभूत कंप्यूटर कार्यो का परीक्षण
- कंप्यूटर को खोलना/बंद करना, मुद्रण, एम एस ऑफिस का उपयोग करना, टंकित विषय वस्तु, परिच्छेद के समायोजन एवं संख्यांकन इत्यादि को सुरक्षित तथा आशोधित करनो।

(ग) उम्मीदवार का स्वास्थ्य अच्छा तथा किसी भी बीमारी, दोष या विकृति से मुक्त होना चाहिए।

(घ) बिना चश्में के अच्छी दृष्टि 6/6 कमजोर दृष्टि (खराब ऑखें) 6/36 चश्मे के साथ सही दृष्टि 6/9 या बिना चश्में 6/12 (दोनों आंखों की) । उम्मीदवार रंग–अंधता से मुक्त होने चाहिए।

(ड.) **लम्बाई**

पुरूष उम्मीदवार :–170 सें.मी. । पहाड़ी क्षेत्रों से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों जैसे गोरखा तथा गढ़वालियों के लिए 5 से.मी शिथिलनीय है।

महिला उम्मीदवारः–157 से.मी. पहाड़ी क्षेत्रों से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों जैसे गोरखा तथा गढ़वालियों के लिए 5 से.मी शिथिलनीय है।

छाती

पुरूष उम्मीदवारः–81–85 से.मी पहाड़ी क्षेत्रों से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों जैसे गोरखा तथा गढ़वालियों के लिए 5 से.मी शिथिलनीय है।

महिला उम्मीदवारः– लागू नहीं

(च) चयनित उम्मीदवारों को समन्वय पुलिस वायरलेस निदेशालय गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित पुलिस वायरलेस आपरेटर के ग्रेड–।।। में नौ महीने के प्रशिक्षण से गुजरना होगा तथा रेडियो सिद्धांत, रेडियो प्रक्रिया, प्रायौगिक तथा टाइपिंग की जानकारी होनी चाहिए। उन्हें दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा समय–समय पर निर्धारित परेड ड्रिल, निहत्थे कोबैट फायरिंग तथा शारीरिक प्रशिक्षण के अलावा आपराधिक कानून, मानवाधिकार इत्यादि के ज्ञान मे भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उम्मीदवारों को पुलिस परीक्षण आयोग झरोदा कलां, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। परीक्षा उत्तीर्ण न करने वाले उम्मीदवारों के प्रशिक्षण को चार महीने के लिए बढ़ा दिया जायेगा तथा इस अवधि के दौरान जिन विषयों में वे अनुत्तीर्ण हुए हैं उन विषयों में उत्तीर्ण होने के अधिकतम दो अवसर दिए जायेगें, जिसमें असफल होने पर सीसीएस(अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के अंतर्गत उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

(3) "यदि डीपीसी विद्यमान है तो इसकी संरचना क्या है " संबंधी कॉलम में प्रविष्टि हेतु निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात :–

'विभागीय स्थायीकरण समिति' (स्थायीकरण पर विचारार्थ)

2

(i) एक पुलिस उपायुक्त (अध्यक्ष)

(ii) दो पुलिस सहायक आयुक्त (सदस्य)

(संबंधित जिलों / इकाईयों से)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

पवन कुमार, उप सचिव (गृह)

टिप्पणी:—दिनांक 31.07.1986 की अधिसूचना सं फा.5 / 46 / 84—गृह(पुलिस) / स्था0 के द्वारा दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली 1980 के प्रमुख नियम प्रकाशित हुए तथा आगे (i) दिनांक 21.4.2006 की अधिसूचना सं0फा013 / 41 / 93 / गृह0पु0—1 / स्था0 / 1865 एवं (ii) दिनांक 09.01.2013 की अधिसूचना सं0फा0 13 / 34 / 2009 / गृह0पु0—1 / स्था0 / 6723 से 6728 के द्वारा संशोधित किया गया।

AUTHENTICATED
(NITYANAND RAI)
Minister of State for Home Affairs
Govt. of India
North Block, New Delhi

HOME –I (POLICE) / ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 11th February, 2022

No. F. 16/6/2020/HP-I/Estt./3483-3489.— In exercise of the powers conferred by sub- sections (1) and (2) of section 147 of Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, namely:-

1. Short title and commencement:-

(1) These Rules may be called the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendments:-

In the said Rules, in Rule 17-B (xiv), relating to the post of **Telephone Exchange Operator (Head Constable)** of Communication Unit in Delhi Police.

(1) For the entry in the column, relating to the "Scale of Pay", the following entry shall be substituted, namely:-

'Pay Level in the Pay Matrix' --- Level-4 (Rs. 25,500-81,100/-)

(2) For the entry against the column, relating to the "Educational and other qualifications required for direct recruits", the following entry shall be substituted, namely:-

(a) Pass 10+2 (Senior Secondary) from a recognized Board with Science and Mathematics as subjects.

OR

National Trade Certificate (NTC) in the trade of Information Technology and Electronic system maintenance.

OR

National Trade Certificate in the trade of Mechanic-cum-operator Electronic, Communication system.

OR

National Apprenticeship Certificate in the trade of call center assistant.

(b) Proficiency in Computer Operation

- Qualifying in Nature.
- Test English word processing speed-1000 key depressions in 15 minutes.
- Test basic computer functions:-

➢ Opening/Closing of PC, printing, MS office usage, saving & modification in typed text, paragraph setting & numbering etc.,

(c) The candidate should be of sound health, free from any disease, defect or deformity.

(d) Better eye 6/6 without glasses. Worse eye 6/36 corrected with glasses 6/9 or 6/12 without glasses (both eyes). The candidates should be free from colour blindness.

(e) **Height**:-

Male candidates:- 170 Cms. Relaxable by 5 Cms. for candidates belonging to Hill areas i.e. Gorkha and Garhwalies.

Female candidates:- 157 Cms. Relaxable by 5 Cms. for candidates belonging to Hill areas i.e. Gorkha and Garhwalies.

Chest:

Male candidates: 81-85 Cms. Relaxable by 5 Cms. for candidates belonging to Hill areas i.e. Gorkha and Garhwalies.

Female candidates:- Not applicable

(f) The selected candidates shall have to undergo Nine months training of Grade-III Police Wireless Operator approved by Directorate of Co-ordination Police Wireless, Ministry of Home Affairs, Govt. of India and having Radio Theory, Radio Procedure, Practical and Typing. They will also be given training in knowledge of criminal law, human rights etc., besides parade drill, firing unarmed combat and physical training as prescribed from time to time by the Commissioner of Police, Delhi. They will be required to pass the final examination conducted by the PTC Jharoda Kalan, New Delhi. The training of those who do not pass would be extended by four months and during this period they would be given a maximum of two chances to clear the subjects in which they have failed, failing which their services shall be liable to be terminated under CCS (Temporary Services) Rules,1965.

(3) For the entry against the column, relating to the "If a DPC exists, what is its composition", the following entry shall be substituted, namely:-

'Departmental Confirmation Committee' (for considering confirmation)

(i) One Deputy Commissioner of Police (Chairman)

(ii) Two Assistant Commissioners of Police (Members)

(From the districts/units concerned).

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

PAWAN KUMAR, Dy. Secy. (Home)

Note:— The Principal Rule of Delhi Police (Appointment & Recruitment) Rules, 1980 vide Notification No F.5/46/84-Home(P)/Estt. dated 31.07.1986 and further amended vide (i) Notification No. F.13/41/93/HP-1/Estt./1865 dated 21.04.2006 and (ii) Notification No. F.13/34/2009/HP-1/Estt./6723 to 6728 dated 09.01.2013.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM

Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.02.12 13:21:09 +05'30'